ग्राम पंचायत कशलोग, ब्लॉक कुनिहार, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 04/2014 से 03/2017

1 प्रारम्भिक :-

(क) ग्राम पंचायत कशलोग, ब्लॉक कुनिहार , जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण निदेशक , पंचायती राज विभाग , हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15) (LAD)/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौपे जाने के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

क्र०सं०	विवरण	पैरा सं०	राशि (र) लाखों में
1	गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	8	0.11
2	राशि का संभावित दोहरा भुगतान	10	0.06
3	नियमों की अनुपालना न कर के क्रय करना	13	-
4	जल आपूर्ति, खेल सम्बंधि सामग्री तथा स्ट्रीट लाईट्स का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार क्रय व भंडारण रजिस्टर में प्रविष्टि न करना तथा उपयोग का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	14	4.37

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत कशलोग, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी व श्री सोम राज कपूर , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.17 से 05.08.2017 व 07.08.2017 तक पंचायत के कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 7/14, 10/15 व 12/16 तथा 10/14, 8/15 व 3/17 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति का प्रारूपण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है , की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार प्रधान व सचिव आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे:-

क्र॰ सं॰	प्रधान का नाम	सचिव का नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता पंवर	श्री परस राम	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्री वेद प्रकाश	श्री परस राम	23.01.2016 से 22.03.2016
3	श्री वेद प्रकाश	श्री विनोद कुमार	23.03.2016 से 31.03.2017

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कशलोग, विकास खण्ड कुनिहार के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क `₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 9 दिनांक 04/08/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क की राशि को हि. प्र. जोगिंद्र सेंट्रल को-ओपेराटिव बैंक लिमिटेड सेवरा चंडी के बैंक ड्राफ्ट संख्या 077316 दिनांक 05.08.2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया।

4 (i) रोकड़ वही का रख-रखाव उचित प्रकार से न करना :-

इस रोकड़ वही में पंचायत निधि का रख-रखाव, पंचायत के अपने स्त्रौतों से प्राप्त आय, पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय , पंचायत चौकीदार के वेतन एवं पंचायत के जन प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक आदि का लेखा -जोखा रखा जाता है। जांच में पाया कि रोकड़ वही का रख रखाव पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 में वर्णित निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। सभी लेनदेनो हेतु (MNREGA के अतिरिक्त) एक ही रोकड़ बही तथा एक ही बैंक खाता रखा गया जो की नियमानुसार नहीं है। ग्राम पंचायत कशलोग की वितीय स्थिति रोकड़ बही के आधार पर निम्न प्रकार से है:-

वितीय वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
प्रारम्भिक शेष	951871.50	1692975.30	1993651.30
प्राप्ति	2216779.00	2094313.00	1381562.00
योग	**3168650.50**	**3787288.30**	**3375213.30**
व्यय	1475675.20	1793637.00	660157.00
अन्तिम शेष	1692975.30	1993651.30	2715056.30

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि व बैंक में शेष का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	रोकड़ बही का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	01.04.2014 को प्रारम्भिक शेष	31.03.2017 को अंतिम शेष
1	सामान्य रोकड़ बही	JCCB सेवड़ा चंडी	100934022000001	951813.19	2714536.99
2	हस्तगत राशि			58.31	281.00
	कुल			**951871.50**	**2714817.99**

अंतर 238.31

(ii) हस्तगत राशि को रोकड़ बही मे न लेना :

₹238.31 के हस्तगत शेष को दिनांक 15.03.2015 को दर्शाया गया था लेकिन 26.03.2015 को इसे गणना मैं नहीं लिया गया। जिससे उक्त राशि को हस्तगत शेष से बाहर कर दिया गया। जिसका औचित्य सपष्ट किया जाये या फिर इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके रोकड़ शेष मे जमा किया जाये।

5 **वर्गीकृत सार (Claasified Abstract) को तैयार न करनाः–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में मुश्किल आई साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6 **नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना रसीदों को रददकरना : –**

जांच में पाया कि निम्नलिखित रसीदों को नियंत्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना रदद किया गया था जिससे रसीदों को रदद करने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इस प्रकार रदद की गई रसीदों के दुरुपयोग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। रदद रसीदों का विवरण निम्नलिखित है : –

क्र.सं	रसीद संख्या	राशि	टिप्पणी
1	077384 दिनांक 10.08.15	8100.00	-
2	077385 दिनांक 10.08.2015	33000.00	-
3	077397 दिनांक 2015-16	0.00	-
	कुल राशि	**41100.00**	

7 **एक ही समये मे एक से अधिक रसीद बुकों से अनियमित रूप से रसीदें काटनाः –**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की एक ही समय पर एक से अधिक रसीद बुकों का इस्तेमाल किया गया था जिस का कोई भी औचित्य नहीं प्रतीत होता है। जैसे कि दिनांक 23.06.2016 से 04.08.2017 तक रसीद संख्या <u>077901 से 077957</u> तक काटी गई थीं और

उसके बाद रसीद बुक खाली रखी गई है तथा 04.11.2016 से 31.03.2017 तक रसीद संख्या 0187601 से 0187627 भी काटी गईं हैं। एक ही समय मे एक से अधिक रसीद बुकों के उपयोग करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य मे एक समय पर एक ही रसीद बुक का प्रयोग करें तथा रसीद बुक पूर्ण होने पर ही दूसरी रसीद बुक जारी की जाये तथा रसीद बुक जारी करने हेतु स्टॉक रजिस्टर में पूर्ण प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाये।

8 गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व का र0.11 लाख का वसूली हेतु शेष होना:-

आय की जाँच के दौरान और पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व गृह कर के रूप मे र10500 वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	परिवार	गृह कर की दर	राशि	देय राशि	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	2	3	4 (2x3)	5 (7+4)	6	7 (5-6)
04/2014 से पहले						7500
2014-15	485	20	9700	17200	0	17200
2015-16	485	20	9700	26900	4860	22040
2016-17	485	20	9700	31740	21240	10500

अतः उक्त राजस्व की वसूली करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ तथा वसूली के उपरांत कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना:-

ग्राम पंचायत के भुगतान वॉउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत ; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है । जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

10 ₹0.06 लाख का संभावित दोहरा भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तीन विभिन्न नाम वाले व्यक्तियों की अलग -2 कार्यों के निष्पादन हेतु जारी उपस्थिति नामावली (Muster roll) में एक ही समय पर दोहरी उपस्थिति दर्शाई गई है जिसके लिये उन्हें ₹6460 का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया

। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गईं उपस्थिति नामावली में आधार कार्ड या अन्य किसी प्रकार का यू. आई. डी. नम्बर अंकित न होने के कारण इन दोहरी उपस्थिति वाले व्यक्तियों के अलग–2 होने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा भुगतान नकद किये जाने के कारण भी इनकी भिन्नता की जांच सम्भव नहीं हो सकी। अत : इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाये तदानुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 74 और 75 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित जिम्मेवारी निर्धारित की जाये तथा संभावित अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	मस्टर रोल संख्या एवम मास	कार्य का नाम	मजदूर का नाम	पिता का नाम	मास के दौरान उपस्थिति	दोहरी उपस्थिति के कुल दिन	दोहरी भुगतान राशि
08-09-14	100	5536 (08/2014)	ब्रिक पाथ नेवडी टू बेरिघाट	**गोपाल**	**श्री संत राम**	01-08-14 से 16-08-14		
24-09-14	101	5535 (08/2014)	रिटेनिंग वाल एण्ड चैक डैम, नेवडी	-यथोपरि-	-यथोपरि-	01-08-14 से 23-08-14	16	2720
08-09-14	100	5536 (08/2014)	ब्रिक पाथ नेवडी टू बेरिघाट	**दीपक**	**श्री प्रेम चंद**	01-08-14 से 12-08-14		
24-09-14	101	5535 (08/2014)	रिटेनिंग वाल एण्ड चैक डैम, नेवडी	-यथोपरि-	-यथोपरि-	01-08-14 से 04-08-14	04	680
08-09-15	12	5554 (08/2015)	शिव शक्ति युवा मण्डल भवन, सेरा	**ललित**	**श्री मनी राम**	01-08-15 से 17-08-15	17	3060
08-09-15	13	5557 (08/2015	गलियों, नालियों का निर्माण, नेवडी	-यथोपरि-	-यथोपरि-	01-08-15 से 20-08-15		
							कुल	**6460**

11 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

11 .1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

12. बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 नियमों की अनुपालना न कर के क्रय करना:-

चयनित माह के बिल/वाउचरों की जांच में पाया कि निम्नलिखित क्रय में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई गई थी:

1. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 67 (5) (ख) के अनुसार ₹1000 से अधिक एवं ₹50000 से कम के क्रय के लिए कम से कम तीन फ़र्मों से निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है।
2. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई सामग्री को तुरंत भण्डार रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।
3. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्ततः हस्ताक्षरित नहीं करता है।
4. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 50 (1) के अनुसार भुगतान करते समय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रसीद लेना अनिवार्य है।
5. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होना अनिवार्य है जबकि जांच में पाया कि कोई भी वाउचर प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं था।

अंकेक्षण अवधि में चयनित माह में किए गए क्रय जिनमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र॰सं	रोकड़ बही	बिल का विवरण	सामग्री	राशि	कमियों का विवरण

	पृष्ठ संख्या व दिनांक		का विवरण		
1	102 दिनांक 10.10.14	M/s Sagar Transport	300cft Concrete	14000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
2	102 दिनांक 10.10.14	Deep ram	Carriage of material	15000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी।
3	102 दिनांक 10.10.14	M/s Jagdishwar Shukla, Darlaghat	300cft sand	14000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
4	102 दिनांक 10.10.14	M/s Santosh Kumar	Sand and Stone	10000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
5	103 दिनांक 14.10.14	M/s Manish Kumar Karsog	Sand and Stone	8100.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
6	10 दिनांक 10.08.15	Bill No.002 Dated 30.06.15 M/s Parmanad goods carrier	300cft grit @ 46	13800.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
7	10 दिनांक 10.08.15	Ram Lal s/o Sh kadsu ram	Sand and gatka	21000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। 3. सामग्री की मात्रा नहीं है/बिल नहीं प्रस्तुत किया गया।
8	10 दिनांक 10.08.15	Bill No.517 Dated 05.07.15 M/s harsang goods carrier	300cft grit @ 46	13800.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
9	10 दिनांक 10.08.15	Ram Lal s/o Sh kadsu ram	Stone	34000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।

					3. सामग्री की मात्र नहीं है/बिल नहीं प्रस्तुत किया गया।
10	45 दिनांक 20.03.17	Bill No.022 Dated 10.01.17 M/s ridhima Enterprises.	Various plumbing material and fitting charges	6336.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
11	45 दिनांक 21.03.17	Bill No. 011 Dated 16.03.17 M/s Sharma Enterprises	350cft sand @ 45 600cft grit @ 55 150cft stone @ 35	54000.00 (partly paid 50000)	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
12	43 दिनांक 22.07.15	Bill No. 024 Dated 14.03.17 M/s Bal krishan	Carriage/loading unloading of cement	3888.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी।
13	46 दिनांक 22.03.17	Bill No. 004 Dated 14.03.17 M/s Sharma enterprises	150cft sand @ 50 150cft grit @ 40	13500.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
14	46 दिनांक 22.03.17	Bill No. 007 Dated 14.03.17 M/s Sharma enterprises	2 tipper stone @ 3500	7000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। 3 माप पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई है और न ही खरीद किए गए पत्थर की मात्रा की अंकेक्षण में जांच की जा सकी।
15	47 दिनांक 31.03.17	Bill No. 458 Dated 10.03.17 M/s Diya enterprises	Recharge of data card	259.00	1. डाटा कार्ड रजिस्टर नहीं लगाया गया था।

उक्त क्रय में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से पंचायत निधि का अनियमित भुगतान किया गया तथा सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं करने से सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें एवं यदि किसी प्रकार की भण्डार में कमी पाई जाती है तो इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना भी सुनिश्चित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त समान की खपत (consumption) की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। उक्त सामग्री की खपत आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये। इसके अतिरिक्त अन्य

नियमों का पालन न करने से अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 ₹4.37 लाख की जल आपूर्ति, खेल संबंधी सामग्री तथा स्ट्रीट लाईट्स का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार क्रय व भंडारण रजिस्टर में प्रविष्टि न करना तथा उपयोग का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

₹436945 का भुगतान विभिन्न फर्मो को विविध वस्तुओं के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार किया गया। जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा सामान के क्रय में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 67 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित नही की गई और न ही नियम 69, 70 व 72 के अनुसार प्राप्त सामान का लेखांकन सुनिश्चित किया गया | अत:उक्त नियमों के अनुरूप वस्तुओं का क्रय व लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा खरीदे गये सामान के वास्तविक उपयोग का सम्पूर्ण अभिलेख आगमी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये:-

दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	फर्म का नाम	खरीदी गईं वस्तुएं	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
07-08-14	97	मै. सूर्या सिरमौर चालना नाहन	08 सोलर स्ट्रीट लाईट	174400	नियम 67(5)(क) का अनुपालन नही किया गया है तथा निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया में भी निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया है।
10-10-14	101	मै. हिमाचल ट्रेडिंग कम्पनी सोलन	जी.आई.पाईप 0.5"- 160 जी.आई.पाईप 1"- 104 शॉकेट 0.5"- 145 शॉकेट 1" - 10 यूनियन 0.5" - 6 यूनियन 1" - 1 ऐल्बो 0.5" - 4 ऐल्बो 1" - 1 रिडयूसर - 2	110141	नियम 67(5)(क) का अनुपालन नही किया गया है तथा निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया में भी निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया है।
19-12-14	108	मै. सिटी सेल्स शिमला	बैड्मिंटन रैकट- 03 शट्टल्कॉक-54 बी/नैट - 01 डब्ल्यू.के. एच - 01 बैट - 04 बी/ग्लब्स-06	39000	हि.प्र. सरकार के प्राधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही निविदा आमंत्रण सम्बंधि अभिलेख उपलब्ध करवाया गया।

			एल/गार्ड-03 डब्ल्यू.के. ग्लब्स-01 ए/गार्ड 10 वॉलीबाल-02 वी/नैट-01 ट्रैक्सूट-15 फुट्बाल-04 क्रिकेट किट-11 क्रिकेट स्टम्पस-06		
10-08-15	11	मै. हिमाचल ट्रेडिंग कम्पनी सोलन	जी.आई.पाईप 0.5"- 155 जी.आई.पाईप 1"-14 शॉकेट 0.5"-130 शॉकेट 1" - 10 यूनियन 0.5" - 14 यूनियन 1" - 7 ऐल्बो 0.5" - 14 ऐल्बो 1" - 7 रिडयूसर - 7	113404	नियम 67 के प्रावधनों का अनुपालन नही किया गया है।
			कुल	₹436945	

15 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर को आरम्भ ही नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था या उचित तरीके से नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	——	103

3	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1)(a & b)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 मनरेगा

वित्तीय स्थिति :-

इस रोकड़ वही में मनरेगा निधि के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की निधि का रख – रखाव एवं पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय का लेखा –जोखा रखा जाता है। अंकेक्षणाधीन अवधि में ग्राम पंचायत की मनरेगा की वितीय स्थिति रोकड़ वही में दर्ज प्राप्ति व भुगतान के आधार पर निम्न प्रकार से है:-

वितीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष	0	125	3
प्राप्ति	43671	254872	216515
योग	43671	254997	216518
भुगतान	43546	254994	216518
अन्तिम शेष	125	3	0

a. **नियमों की अनुपालना न कर के क्रय** करने **बारे (MNREGA) :-**

चयनित माह के बिल/ वाउचरो की जांच में पाया कि निम्नलिखित क्रय में पंचायत के कर्मचारियों द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई गई थी:

1. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 67 (5) (ख) के अनुसार ₹1000 से अधिक एवं ₹50000 से कम के क्रय के लिए कम से कम तीन फ़र्मों से निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है।

2. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई सामग्री को तुरंत भण्डार रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।

3. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्ततः हस्ताक्षरित नहीं करता है।

4. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 50 (1) के अनुसार भुगतान करते समय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रसीद लेना अनिवार्य है।

5. पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होना अनिवार्य है जबकि जांच में पाया कि कोई भी वाउचर प्रस्ताव द्वारा समर्थित नहीं था।

अंकेक्षण अवधि में चयनित माह में किए गए क्रय जिनमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण**	**राशि**	**कमियों का विवरण**
1	43 दिनांक 22.08.15	Bill No.021 Dated 23.07.15 M/s Dooni chand, vill samna.	2 गाड़ी (200cft) sand @4500	9000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार/संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
2	43 दिनांक 22.08.15	Bill No. 140 Dated 13.08.15 M/s NST transport vill. banli	100cft sand @ 45 Shattring rent	4500.00 6000.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
3	43 दिनांक 22.08.15	Bill No. 20722 Dated 12.08.15 M/s Shukla iron and hardware syndicate, darlaghat	Tor Steel	17440.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।
4	51 दिनांक 30.03.17	Bill No. 7218 Dated 07.08.15 M/s Uma dutt and sons, darlaghat.	Tor Steel	7940.00	1. निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी। 2. सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।

उक्त क्रय में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से पंचायत निधि का अनियमित भुगतान किया गया तथा सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं करने से सामग्री के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें एवं यदि किसी प्रकार की भण्डार में कमी पाई जाती है तो इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना भी सुनिश्चित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त समान की खपत (consumption) की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। उक्त सामग्री की खपत आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये। इसके अतिरिक्त अन्य

नियमों का पालन न करने से अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(b) मसटररोलो पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित न किया जाना (MNREGA):-

चयनित माह के वाउचरो की जांच में पाया कि muster rolls पर किए गए कार्यों को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। जिसका औचित्य सपष्ट करें तथा भविष्य मैं इसे सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(c) निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से संबन्धित माप पुस्तिकाओं को जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे:–

चयनित मासों मे muster roll मे किए गए कार्य व खरीदे गए सामान के उपयोग की जांच करने हेतु माप पुस्तिकाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन जांच के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों से संबन्धित मूल्यांकन की जांच हेतु माप पुस्तिकाएँ जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं हैं। जिसके अभाव में अंकेक्षण नहीं किया जा सका। अतः संबन्धित तकनीकी अधिकारी के विरुद्ध माप पुस्तिकों तथा संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाने हेतु उचित कारवाई अमल में लाई जाये तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान पूर्ण अभिलेख उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

क्र.सं.	माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	राशि	कार्य का नाम	विवरण
1	41/30-31	42, 8.8.15	15876	Kuhal near pool to miyon ke khet tak	Muster roll no. 955 dated 10.07.2015
2	41/24	42, 8.8.15	11340	Drinking water storage tank, vill serwala	Muster roll no. 956 dated 10.07.2015
3	41/20	42, 8.8.15	13446	Community water storage tank kashlog	Muster roll no. 957 dated 10.07.2015
4	41/20	42, 8.8.15	2968	Community water storage tank kashlog	Muster roll no. 958 dated 10.07.2015
5	41/27	42, 8.8.15	6480	Community tank at village samana	Muster roll no. 1038 dated 20.07.2015
6	41/27	41, 22.8.15	14580	Community tank at village samana	Muster roll no. 1163

					dated 31.07.2015
7	41/27	41, 22.8.15	4240	Community tank at village samana	Muster roll no. 1165 dated 31.07.2015
8	41/30-31	43, 22.8.15	11340	Kuhal near pool to miyon ke khet tak	Muster roll no. 1162 dated 31.07.2015
9	41/234	43, 22.8.15	8100	Drinking water storage tank, vill serwala	Muster roll no. 1164 dated 31.07.2015
10	41/20	43, 22.8.15	5346	Community water storage tank kashlog	Muster roll no. 1166 dated 31.07.2015
11	41/20	43, 22.8.15	2120	Community water storage tank kashlog	Muster roll no. 1167 dated 31.07.2015
12	41/20	46, 23.10.15	7290	Drinking water storage tank, vill serwala	Muster roll no. 1824 dated 01.10.2015
13	41/22	46, 23.10.15	5832	Community water storage tank kashlog	Muster roll no. 1825 dated 01.10.2015
14	41/22	46, 23.10.15	1908	Community water storage tank kashlog	Muster roll no. 1826 dated 01.10.2015
15	-	43, 22.08.15	9000	Water tank samana	Sand
16	-	43, 22.08.15	10500	Kuhal near pool to miyon ke khet tak	Sand and shuttering rent
17	-	43, 22.08.15	17440	Drinking water storage tank, vill serwala	Tor steel

18	-	44, 24.08.15	41080	Tank at smana, serwala, kashlog, kuhal to miyon ke khet	cement
19	-	50, 07.03.17	19715.20	Kuhal kyarty, RWHT Sh Brij lal	cement
20	-	51, 30.03.17	7940	Storage tank at samana	Tor steel

18 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्ष :** –लेखों में सुधार की आवश्यकता है एवं नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख एवं सभी निधियों की रोकड़ वही को तैयार करना सुनिश्चित करें एवं उक्त पैरों में वर्णित अनियमिताओं बारे स्थिति स्पष्ट करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(iv)32/2017—खण्ड—1—5967—5970 दिनाँक—3.10.17 शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कशलोग, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार तहसील अर्की, जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881